



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना साइबर क्राइम

दिनांक 11.10.2024

थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस टीम ने अमेजन अकाउंट हैक कर 50,000 रुपये का आईफोन खरीदने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से खरीदा हुआ 01 आईफोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.10.24 को थाना साइबर क्राइम पर वादी पवन कुमार पुत्र विष्णुस्वरूप निवासी अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 30.4.2024 को वादी के अमेजन अकाउंट को हैक कर अज्ञात अभियुक्त के द्वारा 50,000 रुपये के वाउचर का आईफोन 13 , 128 जीबी खरीद लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु०अ०सं० 19/24 धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत बागपत पुलिस द्वारा जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना साइबर क्राइम बागपत पुलिस टीम द्वारा अमेजन अकाउंट हैक कर 50,000 रुपये का आईफोन खरीदने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

है, जिसके कब्जे से खरीदा हुआ 01 आईफोन व घटना में प्रयुक्त 01 फोन बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अंकित पुत्र बालेराम निवासी गांव ग्वालीखेडा थाना बिनौली जनपद बागपत।
हालपता गली नं0 05 अमर कालोनी ईस्ट गोकलपुरी नई दिल्ली।

बरामदगी का विवरण-

- 01 आईफोन 13, 128जीबी।
- घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री प्रदीप ढौडियाल थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।
- 3-है0का0 476 शुभम चौधरी थाना साइबर क्राइम जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक -11.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 170/24 धारा 147/148/149/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.03.2024 को थाना बडौत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लोयन में शिव मन्दिर के पास 1-प्रथम पुत्र राजीव, 2-हर्ष पुत्र बिन्दर व कुछ अज्ञात लड़के अपने-अपने हाथों में लिए हुए लाठी-डण्डे, धारदार हथियार लेकर मारपीट वगाली-गलौच तथा जान से मारने की धमकी देते हुए आपस में भीड़ रहे थे । पुलिस व जनता के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं माने और झगडा करने लगे। इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 170/24 धारा 307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया ।



नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 147/148/149 भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 170/24 धारा 147/148/149/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सिद्धार्थ पुत्र आत्माराम निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-है0का0 201 विशाल चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



दिनांक 11.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 69/24 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 66 डी आईटी एक्ट व 3/4/7/8/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 69/24 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 66डी आईटी एक्ट व 3/4/7/8/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त



को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में एसटीएफ मेरठ एवं थाना बडौत पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में ही 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

गिरफ्तार राम अभियुक्त का नाम पता:

राम उर्फ रामअवतार पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम भिडूकी थाना हसनपुर जनपद पलवल हरियाणा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 977/2021 धारा 419/420/511/120बी भादवि व 3/6/9/10 उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 थाना सेक्टर 58 जनपद गौतमबुद्धनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री बीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-निरीक्षक श्री सुनील कुमार एसटीएफ जनपद मेरठ।
- 3-है०का० रकम सिंह एसटीएफ जनपद मेरठ।
- 4-है०का० आकाशदीप एसटीएफ जनपद मेरठ।
- 5-है०का० प्रदीप धनकड़ एसटीएफ जनपद मेरठ।
- 6-का० 712 विनय कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक-11.10.2024

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

जगपाल पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर चक थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-यू0टी0उ0नि0 श्री मंयक प्रताप थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-का0 26 कुलदीप कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 11.10.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शराफत पुत्र रशीद निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
2. सोनू पुत्र महीपाल निवासी ग्राम सैडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 266 नरेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।